राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2420/2025

मोहम्मद रफीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर (राज.)।
4. सीताराम मीणा, प्रशासनिक अधिकारी, सीबीईओ, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2025
आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सीबीईओ, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर से नाचना, जैसलमेर पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को अनदेखा करते हुये उसका पदस्थापन किया गया है, जो अवैध है। अपीलार्थी की जन्मतिथि 25.08.1965 है, जिसके अनुसार अपीलार्थी दिनांक 31.08.2025 को लगभग 4 माह बाद राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को 716 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी हृदय रोग से

पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। उसके उपचार में दो स्टंट डाले गये हैं और इसके बावजूद भी अपीलार्थी का इतने दूर पदस्थापन किया गया है। इस प्रकार जारी किया गया पदस्थापन आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सीबीईओ, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर से नाचना, जैसलमेर पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को जैसलमेर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और अनुलग्नक–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 31.08.2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है एवं अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का हृदय संबंधी उपचार चल रहा है और ऐसी उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी अपीलार्थी का जिला सवाई माधोपुर से जैसलमेर दूर पदस्थापन किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित

समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष